13.00 hrs.

Title: Regarding notices of Question of Privilege against Kum. Mayawati, Chief Minister of Uttar Pradesh. (Matter refferred to Uttar Pradesh Legislative Assembly for appropriation action in the matter under intimation to the House).

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, हमने 24 अप्रैल को आपको विशेाधिकार हनन का नोटिस उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ दिया था। 21 अप्रैल को आपकी कृपा से यहां बहुत अच्छी और सार्थक चर्चा हुई थी कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री श्री मुलायम सिंह याद व जी के मुख्य मंत्री काल में जो विवेकाधीन कोा का जो तथाकथित दुरूपयोग हुआ उसके सिलसिले में 137 अपराध एक ही दिन में श्री मुलायम सिंह यादव और पार्टी के अन्य वरिठ पदाधिकारियों के खिलाफ पंजीकृत हो गए। पूरे सदन ने इस पर चिंता व्यक्त की कि गलत परम्परा पड़ेगी। हम लोग तमिनलाडु को अपवाद मानते हैं। लेकिन उ. प्र. ने अब तमिलनाडू को भी पीछे छोड दिया है ।

स्वस्थ राजनीति के लिए बेहतर यह है कि एक आचार संहिता मुख्य मंत्रियों के लिए बने। आपने यह भी निर्देशित किया था कि प्रधान मंत्री जी इस मामले पर बैठक बुलाएं और बैठक बुलाने के बाद एक आचार संहिता बन जए। इसके बाद जब इस सदन में सवाल उठा तो उसी दिन अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री ने कहा कि लोक सभा मनुवादियों की जमात है। यह विशेाधिकार हनन की परिधि में आता है। लोगों ने अपने विचार व्यक्त किये थे और पूरी ससंद को मनु वादी कहना किसी भी कीमत पर न्यायसंगत नहीं है। जहां तक मुलायम सिंह यादव जी का विवेकाधीन कोा के दुरुपयोग की बात कही गई है, मायावती ने अपने मुख्यमंत्री काल के पांच महीने के कार्यकाल में 145 मामलों में विवेकाधीन कोा का दुरूप्रयोग किया है। मेरे पास निश्चित जानकारी है कि जितना विवेकाधीन कोा का दुरुपयोग मायावती के राज में हुआ है, विवेकाधीन कोा का उतना दुरुपयोग कहीं नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास इसी विाय पर नोटिस पड़े हैं।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, हमारा इसी विाय पर नोटिस है। हम यह चाहते हैं कि,â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं रूलिंग दे रहा हूं।

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I have received notices of question of privilege from Sarvashri Ramji Lal Sumar, Toofani Saroj, Raghunath Jha, Ram Rati Bind and Kunwar Akhilesh Singh, Members of Parliament against Kum. Mayawati, Chief Minister of Uttar Pradesh, for committing a contempt of the House.

As you are aware, Kum. Mayawati, Chief Minister of Uttar Pradesh, against whom notices of question of privilege are directed, is a Member of the Uttar Pradesh Legislative Assembly.

It is well-established that one House cannot claim or exercise any authority over a Member of the other House.

According to Kaul and Shakdher, "â€¦where a contempt or a breach of privilege has been committed by a Member of Parliament against a State Legislature or by a Member of a State Legislature against Parliamentâ€¦" The convention, as I mentioned in the House a few days ago is that, "when a question of breach of privilege is raised in any Legislature in which a Member of another Legislature is involved, the Presiding Officer refers the case to the Presiding Officer of the Legislature to which that Member belongs and the latter deals with the matter in the same way as if it were a breach of privilege of that House."

I am, accordingly, referring the matter to the Hon. Speaker, Uttar Pradesh Legislative Assembly for appropriate action in the matter under intimation to us.

All the 'Zero Hour' notices are over. About the privilege notices also, I have given my ruling.

The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

13.03 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.